पत्रांक–15 / अभि०(को०)प्र०भवन–10–36 / 2025 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– नगर परिषद्, बखरी में प्रशासनिक भवनों के निर्माण / जीर्णोद्धार मद अंतर्गत स्वीकृत प्रशासनिक भवन योजना के लिये देनदारी राशि ₹75.56 लाख (पचहत्तर लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2025–26 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–150, दिनांक–21.03.2018 द्वारा नगर पंचायत, बखरी सम्प्रति नगर परिषद्, बखरी में प्रशासनिक भवन / नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रूपए) मात्र योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹94.00 लाख रूपए मात्र आवंटित की गई थी।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बखरी के पत्रांक–2062, दिनांक–29.12.2025 द्वारा प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में प्राप्त राशि के व्ययोपरांत अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित नगर परिषद्, बखरी में प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना को स्तम्भ–7 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025–26 में तत्काल कुल **₹75.56** लाख (पचहत्तर लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र नगर निकायों में प्रशासनिक भवनों के निर्माण / जीर्णोद्धार मद से सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	PL खाता संख्या / HOA संख्या	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर परिषद्, बखरी	BGSPLA007/ 00-8448-00-102-0002-00-01	प्रशासनिक भवन / नगर सरकार भवन का निर्माण कार्य।	169.56	94.00	75.56
			कुल	**169.56**	**94.00**	**75.56**

अर्थात कुल स्वीकृति की राशि ₹75.56 लाख (पचहत्तर लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र ।

4. उक्त स्वीकृत **₹75.56 लाख (पचहत्तर लाख छप्पन हजार रूपये)** मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें,** जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–227, दिनांक–28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी। ***उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उक्त राशि की***

निकासी करते हुए उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित PL खाता संख्या एवं HOA संख्या में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. राज्य योजनाओं एवं अन्य समरूप योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत कुल ₹75.56 लाख (पचहत्तर लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र की निकासी माँग संख्या–48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, 192–नगर पालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष–0101–नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण–जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48-2217031920101, विषय शीर्ष–0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम–431 के आलोक में यथा B.T.C.फॉर्म सं०–42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1496, दिनांक–22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–9.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार **सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। **राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के पृष्ठ सं०–101/टि० पर दिनांक–16.01.26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–105/टि० पर दिनांक–06.02.26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/ अभि०(को०)प्र०भवन–10–36/2025 489 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 10/2/26

प्रतिलिपिः–प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बखरी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06 एवं 15, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।